न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **87/18 (वाद)**

GCMS No. : 2018/00185

1. श्री रोड़ीलाल पिता गांगा जी जाति भीज निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।

............वादी

बनाम्

1. श्री गांगा पिता कन्ना जी भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री गणेश पिता दौला जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी खेमपुरा, उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री टीला पिता कन्ना जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
4. श्री नेता पिता धर्मा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
5. श्री रामा पिता धर्मा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
6. श्री टेका पिता धर्मा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
7. श्री नारू पिता सवा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
8. श्री तेजा पिता सवा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
9. श्री उदा पिता सवा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
10. सोवनी पुत्री सवा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
11. मगनी पुत्री सवा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
12. मटु पुत्री सवा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
13. श्री भगा पिता हीरा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
14. श्री हेमा पिता हीरा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
15. छालु पिता हीरा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
16. श्रीमती रेलीबाई पत्नी हीरा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
17. श्रीमती रूपीबाई पुत्री गांगा जी [illegible] जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली हाल मुकाम [illegible] तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

18. श्रीमती नारूबाई पुत्री गांगा जी पत्नी छगन जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली हाल नाहंरमगंरा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर, (राज.)
20. पटवारी, पटवार हल्का नामरी, तहसील मावली, जिला उदयपुर, (राज.)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री पंकज चौधरी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री भागीरथ टांक, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 17, 18 ।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 28.03.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान करश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा घणोली, पटवार हल्का नामरी तहसील मावली की आराजी नं. 246, 248, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 ,271, 272, 274,286 कुल किता 14 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा कृषि भुमि स्थित है उक्त आराजीयात मे मुझ वादी का 1/12 वां हिस्सा व प्रतिवादी सख्यां 02 का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। आराजी नं. 249 रकबा 06 बिस्वा भुमि स्थित है उक्त आराजी मे प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। आराजी नं. 260, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284 कुल किता 10 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है उक्त आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। इसके अलावा उक्त आराजीयात मे प्रतिवादी सख्यां 03 से 16 का नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकर्ड दर्ज है तथा उक्त सम्पुर्ण आराजीयात पैतृक है।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात पुर्व मे मुझ वादी के दादा स्व. कन्ना जी भील के नाम पर दर्ज थी तथा कन्ना जी के निधन होने के उपरान्त विरासत से उक्त आराजीयात उनके विधिक पुत्र प्रतिवादी सख्यां 01 व 03 के नाम पर दर्ज हुयी, वर्तमान में मेरे पिता गांगा जी भील जो कि प्रतिवादी सख्यां 01 है उसका मै वादी जायन्दा पुत्र हु और प्रतिवादी सख्यां 01 के सम्पुर्ण हिस्से की जमीन पर हिस्सेंनुसार कृषि भुमि पर खेती करता आ रहा हुं। दिनांक 12.06.2008 को मुझ वादी के पिता प्रतिवादी सख्यां 01 ने मेरे हक एवं हिस्से को नजर अदांज करते हुए उक्त वर्णित आराजीयात में से विरासत से मिले हुए सम्पुर्ण हिस्से में से 1/4 हिस्से को प्रतिवादी 02 के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

माध्यम से विक्रय कर दिया यह जानकारी वादी से प्रतिवादी सख्यां 01 व 02 ने अभी तक छिपा के रखी परन्तु मौके पर पुर्व के हिस्सेनुसार मै वादी खेती करता आ रहा हु।

3. यह कि प्रतिवादी सख्यां 02 का उक्त आराजीयांत मे अंश मात्र भी कब्जा नही है एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 मिलकर मुझ वादी को मेरे हक एवं हिस्से से महरूम रखने के उदेश्य से विरासत से मिली हुई जमीन को मेरी सहमती के बिना ही खुर्द बुर्द कर दी जबकि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 यह जानते थे कि उक्त आराजीयात मे मुझ वादी का जन्म से अधिकार है इसके बावजुद उन्होने आपस में मिलकर उक्त विकय पत्र निष्पादित करवाया है जो कि पुर्ण रूप से शुन्य है इस कारण प्रतिवादी संख्या 02 विक्रय दिनांक से आज दिनांक तक मौके पर कब्जा लेने नंही आया था परन्तु वर्तमान भुमि की किमतो मे वृद्धि हो जाने से प्रतिवादी संख्या 02 मुझ वादी को आये दिन उक्त जमीन से बेदखल होने की धमकिया दे रहा है प्रतिवादी सख्यां 01 ने उक्त आराजीयात मे अकिंत सम्पुर्ण आराजीयात जो कि पैतृक सम्पति है में से कुछ आराजीयात प्रतिवादी सख्यां 02 को विक्रय कर दी बल्कि प्रतिवादी सख्यां 01 को उक्त आराजीयात मे से केवल अपने नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सें मे से 1/4 हिस्से को बेचने का अधिकार था उन्होने अपने हिस्से से अधिक भुमि का विक्रय किया जो कि गलत है और उक्त विक्रय पत्र मेरे अधिकारो के मुकाबले बेअसर एवं शुन्य है तथा उक्त कृषि भूमि वादी की पैतृक सम्पति है चुकि वादी, प्रतिवादी सख्यां 01 की जायन्दा सन्तान है तथा प्रतिवादी सख्यां 17 व 18 पुत्रिया है इसलिए हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत मुझ वादी को प्रतिवादी सख्या 1 के हिस्से मे से 1/4 हिस्से पर व प्रतिवादी सख्यां 17 व 18 को 1/4–1/4 हिस्से पर जन्म से ही अधिकार मिल गये है तथा मै वादी जन्म से ही अपने हिस्से का स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी हो गया हु।

4. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकर्ड मे विरासत से दर्ज हुई थी परन्तु विगत कई वर्षो से मै वादी, प्रतिवादी संख्या 1 के सम्पुर्ण हिस्से मे से 1/2, 1/2 हिस्से पर कब्जें काश्त होकर खेती करते आ रहे है परन्तु दिनांक 31–03–2018 को प्रतिवादी संख्या 02 मौके पर आया और मुझ वादी को मेरी कब्जे वाली [illegible] से बेदखल करने पर उत्तारू हुआ इस पर मुझ वादी ने इसका कारण पु[illegible] प्रतिवादी सख्या 02 ने कहा कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

उक्त सम्पुर्ण जमीन मैने प्रतिवादी सख्या 01 से वर्ष 2008 में क्रय कर ली है अब तुम्हारा उक्त जमीन पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है इस पर मुझ वादी ने पटवारी साहब से सम्पर्क किया और खाते एवं विक्रय पत्र की नकल निकलवायी तो पता चला कि प्रतिवादी सख्यां 01 ने प्रतिवादी सख्यां 02 को उक्त आराजीयात के 1/4 हिस्से को विक्रय कर दिया है जबकि उक्त आराजीयात मे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् मुझ वादी को जन्म से ही अधिकार मिल गया है इस कारण प्रतिवादी सख्यां 01 द्वारा प्रतिवादी सख्यां 02 के पक्ष में निष्पादित किया गया विकय पत्र मेरे हक एवं अधिकारो के मुकाबले शुन्य है। प्रतिवादी संख्या 01 को मेरे हिस्से की जमीन बेचने का कोई विधिक अधिकार नहीं है मौके पर मै वादी प्रतिवादी संख्या 01 के सम्पुर्ण हिस्से मे से हिस्सेनुसार कृषि भुमि पर खेती करते आ रहा हु ।

5. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्ट्या मामला है चुकि मै वादी प्रतिवादी सख्यां 01 का जायन्दा पुत्र होने से, मुझे प्रतिवादी सख्यां 01 की जमीन में जन्म से स्वामित्व एवं आधिपत्य मिल चुका है इसलिये मै वादी कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हु यदि वादी का नाम कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात मे खातेदार की हेसियत से दर्ज नही किया गया तो मुझ वादी होने वाली क्षति का मुल्याकन रूपये पैसो में नही किया जा सकता है। इसलिये प्रतिवादी सख्यां 01 व 02 को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पांबद करना आवश्यक है।

6. यह कि प्रतिवादी सख्यां 02 द्वारा दिनांक 31–03–2018 को नुमाईषी इन्द्राज के आधार पर जमीन को विक्रय करने एवं उक्त आराजीयात से मुझ वादी को बेदखल करने की धमकी दी जिससे वाद कारण पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

7. अंत में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादी सख्यां 01 व 02 के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावे उक्त वर्णित आराजीयात मे मुझ वादी को प्रतिवादी सख्यां 01 को विरासत से मिली हुई सम्पुर्ण हिस्से की जमीन में से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इसी अनुसार मुझ वादी का नाम जमांबदी मे दर्ज किया जावे।

8. प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की [illegible] निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि उक्त वर्णित आराजीयात मे प्रतिवादी सख्यां 01 के सम्पुर्ण हिस्से मे से मुझ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

वादी के 1/4 हिस्से पर मुझ वादी को उपयोग–उपभोग करने से नहीं रोके, न कोई अवरोध पैदा करें, न कोई नुकसान कारित करें तथा उक्त कलम नम्बर 1 में अंकित भूमि को रहन, बैह बक्षीस नहीं करें, न खुर्द–बुर्द करें, न इस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 3 से 16 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 17, 18 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर नोटशीट पर अंकित किया गया कि दावा स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 19, 20 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब प्रस्तुत नही करना चाहा। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं होने से साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादी गवाह पीडब्ल्यू 1 श्री रोडीलाल पिता गांगा का मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। गवाह पीडब्ल्यू 1 श्री रोडीलाल पिता गांगा द्वारा दस्तावेज मौजा घणोली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 1 से 3, भू प्रबन्ध विभाग की नकल खतोनी बन्दोबस्त प्रदर्श 4, मौजा घणोली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2048–51 प्रदर्श 5, मौजा घणोली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2052–55 प्रदर्श 6, मौजा घणोली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2056–59 प्रदर्श 7, मौजा घणोली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2060–63 प्रदर्श 8, विक्रय पत्र दिनांक 12.06.2008 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 9 करवाये गये।

10. अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वादी द्वारा चाहे गए अनुतोष अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

11. हमने अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादपत्र के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह बात निर्विवादित रूप से स्पष्ट है कि वादी स्वयं अपने वाद पत्र की कलम संख्या 2 के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि अपने दादा स्व. कना भील के नाम पर दर्ज होना बता रहा है। इससे पूर्व उक्त भूमि किसके नाम थी इस संबंध में वादी द्वारा कोई कथन नही किया गया है। वादग्रस्त आराजियात कना भील की होने के कारण उनकी मृत्यु के पश्चात धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वादी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

निहित हुई। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 भी प्रथम श्रेणी का वारिस है। इस प्रकरण में विवाद मात्र प्रतिवादी संख्या 1 श्री गांगा के हिस्से की सम्पत्ति तक ही सीमित है और प्रतिवादी संख्या 1 श्री गांगा जीवित है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह भी कही स्पष्ट नही किया कि वादग्रस्त भूमि किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित मौरूसी सम्पत्ति है। इस संबंध न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2016 देहली पेज नम्बर 120 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि वादी को अपने वाद मे यह बताना आवश्यक है कि वादग्रस्त सम्पत्ति मौरूसी किस प्रकार से है। इस न्यायिक दृष्टांत में यह दर्शाया गया है कि '' No averment in the plaint that grandfather of claimant inherited property(S) from his paternal ancestors prior to 1956 – properties in the hands of late grandfather cannot be HUF properties in his hands – It can be said that suit does not disclose cause of action and hence liable to be dismissed.'' उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी वाद में मात्र यह अंकित कर देना कि वादग्रस्त आराजियात मौरूसी सम्पत्ति है पर्याप्त नही है। वादीगण को अपने वादपत्र में बताना होगा कि वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से मौरूसी सम्पत्ति है एवं मूल पुरूष की मृत्यु सन् 1956 ई. के पूर्व हुई है अथवा बाद में तथा सन् 1956 के पूर्व एच.यू.एफ. बनी थी अथवा नही। यदि वादपत्र में यह स्थिति वर्णित नही है तो किसी भी सम्पत्ति को मौरूसी सम्पत्ति नही माना जा सकता एवं ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद कोई भी वादकारण दर्शित नही करता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वादपत्र में भी ऐसे कोई तथ्य वर्णित नही किये गये है जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता हो कि वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभक्त मौरूसी सम्पत्ति है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार होने से वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात में से अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि का 1/4 हिस्सा भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.06.2008 को विक्रय कर दिया गया। अर्थात दिनांक 12.06.2008 से उक्त भूमि में से क्रय किये गये 1/4 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 खातेदार हो गया। इसके पश्चात वादी द्वारा उक्त भूमि अपने पिता के नाम शेष रही भूमि का दानपत्र करवाकर अपने नाम दर्ज करवा ली। इससे प्रतीत होता है कि वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादी संख्या 2 को परेशान करने की नियत से उक्त वाद प्रस्तुत किया है। वादी अपने वाद पत्र में यह कथन कर रहा है कि उक्त भूमि पैतृक भूमि है। परन्तु वादी अपने वाद पत्र में यह भी कही स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

नही किया कि वादग्रस्त भूमि किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित मौरूसी सम्पत्ति है। इस प्रकार वादी अपने वाद को साबित कराने में असफल रहा। वैसे भी मौरूस सम्पति में वादी द्वारा दान पत्र से हक हिस्सा प्राप्त कर लिया है। वादी का वाद वादी की प्लीडिंग्स के अनुसार भी धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत विधि वर्जित है, ऐसे में वाद वादीगण खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेन्टेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री रोड़ीलाल पिता गांगा जी जाति भीज निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।

.....वादी

बनाम्

1. श्री गांगा पिता कन्ना जी भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री गणेश पिता दौला जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी खेमपुरा, उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री टीला पिता कन्ना जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
4. श्री नेता पिता धर्मा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
5. श्री रामा पिता धर्मा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
6. श्री टेका पिता धर्मा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
7. श्री नारू पिता सवा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
8. श्री तेजा पिता सवा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
9. श्री उदा पिता सवा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
10. सोवनी पुत्री सवा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
11. मगनी पुत्री सवा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
12. मटु पुत्री सवा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
13. श्री भगा पिता हीरा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
14. श्री हेमा पिता हीरा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
15. छालु पिता हीरा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**
16. श्रीमती रेलीबाई पत्नी हीरा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) **ड्रोप**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

17. श्रीमती रूपीबाई पुत्री गांगा जी पत्नी माना जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली हाल सुवावतो का गुड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
18. श्रीमती नारूबाई पुत्री गांगा जी पत्नी छगन जी जाति भील आयु वयस्क निवासी घणोली हाल नाहंरमगंरा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर, (राज.)
20. पटवारी, पटवार हल्का नामरी, तहसील मावली, जिला उदयपुर, (राज.)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 87/18 (वाद) GCMS No. – 2018/00185

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेन्टेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.03.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested